बाला प्रसाद आदि विरूद्ध रामयश आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 229–दो/03 | जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 102/निगरानी/2002–03 मे पारित आदेश दिनांक 10–2–03 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा आयुक्त ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा स्थगन आवेदन अमान्य किया गया है ।

2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त ने आवेदक एवं अनावेदक/कैवियटकर्ता को सुनकर प्रकरण को पंजीबद्ध करके अभिलेख बुलाये जाने के आदेश दिए हैं और प्रथमदृष्टया सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष मे न पाए जाने से स्थगन आवेदन अमान्य किया गया है । स्थगन देना या न देना यह अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार है । चूंकि प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न हाने से यह निगरानी निरस्त की जाती है

3– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों ।

सदस्य

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

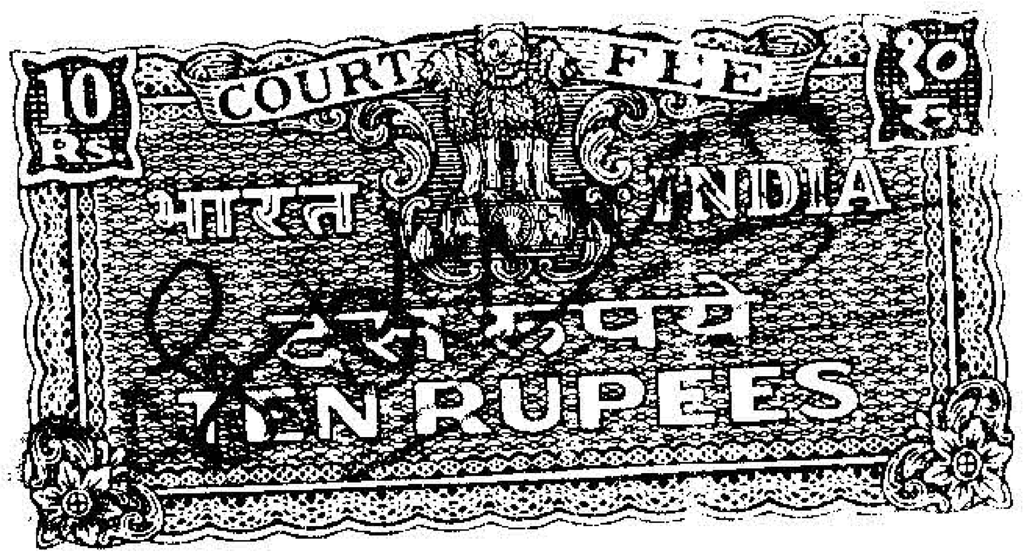

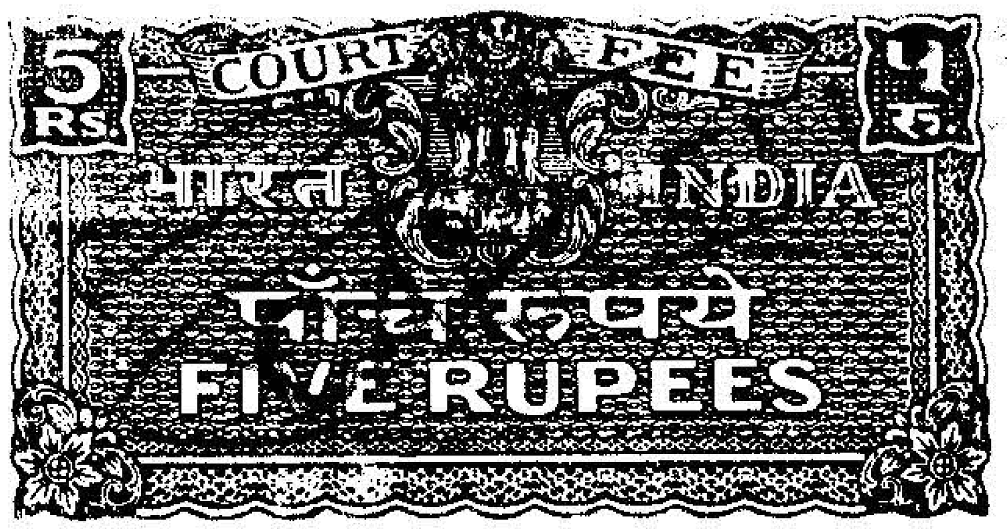

1. बाला प्रसाद तनय रामसखा ब्रा0 निवासी ग्राम मुझवा, तह0 रघुराज नगर, जिला सतना, म0प्र0
2. ओम बंसल तनय भरतलाल बंसल निवासी जैतवारा, तह0 रघुराज नगर, जिला सतना म0प्र0

---------------आवेदकगण

बनाम

1. रामयश तनय श्री रामरतन ब्रा0
2. भइयालाल तनय रामकरण ब्रा0

दोनों निवासी ग्राम मुझवा, तह0 रघुराज नगर, जिला सतना, म0प्र0

---------------अनावेदकगण